

अधिसूचना


प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2013 के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों के दौरान शिविरों के प्रभारी अधिकारियों को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा शक्तियाँ/शिथिलताएं प्रदान की गई थीं-

1. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/35 दिनांक 29.11.12
2. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/36 दिनांक 29.11.12
3. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/37 दिनांक 29.11.12
4. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/38 दिनांक 29.11.12
5. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/39 दिनांक 29.11.12
6. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/40 दिनांक 29.11.12
7. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/41 दिनांक 29.11.12
8. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/42 दिनांक 29.11.12
9. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/43 दिनांक 29.11.12
10. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/44 दिनांक 29.11.12
11. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/2 दिनांक 11.1.2013
12. क्रमांक:प09(112)राज-6/2012/3 दिनांक 11.1.2013

यह शक्तियाँ/ शिथिलता अभियान अवधि दिनांक 10.1.2013 से 28.2.2013 तक के लिये दी गई थी। अब यह अभियान प्रथम चरण में दिनांक 20.2.2013 तक व द्वितीय चरण में दिनांक 8.4.2013 से 16.4.2013 तक दो चरणों में आयोजित होगा।

अतः उक्त सभी अधिसूचनायें प्रथम चरण में दिनांक 28.2.13 के बजाय दिनांक 20.2.13 तक लागू रहेगी तथा पुनः अभियान अवधि दिनांक 8.4.13 से 16.4.13 तक के लिए लागू रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.2.13 से 7.4.13 तक उक्त अधिसूचनायें प्रभावी नहीं रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(लेखराज तोसावडा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक इन्फ्रा ।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास ।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
10. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर ।
11. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ।
12. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 20/2/2013 में प्रकाशनार्थ ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजा जयपुर ।
14. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
15. अतिरिक्त निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)
16. रक्षित पत्रावली ।


उप शासन सचिव